

and two boats with 12 Gujarati fishermen were captured on 3.4.1989.

(c) Yes, Sir.

(d) The Government has been requesting the Pakistan Government to release and repatriate the fishermen and the boats.

Relief Supplies for Earthquake Victims in U.S.S.R.

788. SHRI K. V. THANGKABALU: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have extended cooperation in sending relief supplies for the victims of earthquake in the U.S.S.R.; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) Yes, Sir.

(b) Five IL-76 plane loads of relief supplies, totalling over 150 tonnes were airlifted between 10th to 28th December, 1988. The items included supplies from the various agencies of the Government, the Red Cross, and donations by private industry. The mix of the relief supplies was decided in consultation with Soviet authorities taking into account their priorities. Indian relief supplies included blankets and woollens, arctic tents, stretchers and hospital beds, various categories of medical and surgical equipment and drugs. In addition, "Prime Minister's Armenia Earthquake Relief Fund" has been constituted to channelise cash contributions from private citizens and institutions all over India. State Governments and the administrators of Union Territories were requested to facilitate the receipt of contributions.

ब्लू फिल्मों का निर्माण, आयात और प्रसारण

@789. श्रीमती सत्या बहिन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में निर्मित और आयातित ब्लू फिल्मों के कारण युवा पीढ़ी के नैतिक चरित्र में गिरावट आ रही है, जिसके फलस्वरूप देश में सेक्स की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है, और यदि हां, तो इस वृत्ति को रोकने के लिये क्या क्या कदम उठाये गये हैं ? और

(ख) क्या सरकार ने इन लाइब्रेरियों के लिये कोई अनुज्ञापत्र जारी किये हैं और क्या मनोरंजन कर या किसी दूसरे कर के माध्यम से राजस्व वसूला जा रहा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्यमंत्री (श्री एल.पी. साहू) : (क) देश में सार्वजनिक प्रदर्शन से पूर्व प्रत्येक फिल्म का, वह सैलूलायड हो अथवा वीडियो, भारतीय हो अथवा विदेशी, चलचित्र, अधिनियम, 1952 (1952 का 37), चलचित्र प्रमाणन नियमावली, 1983 और अधिनियम की धारा 5ख (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणीकरण अपेक्षित है। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्धारित है कि केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये संस्वीकृति प्रदान करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि अभिव्यक्ति, अश्लीलता और चरित्रहीनता के कारण मानवीय भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचे। इसके अतिरिक्त, आयातित फीचर फिल्मों के मामले में, उन्हें बोर्ड के समक्ष प्रमाणन के लिये प्रस्तुत किये जाने से पहले, उनकी एक स्वतंत्र फिल्म आयात चयन समिति द्वारा सरकार द्वारा घोषित फीचर फिल्मों

@पूर्वतः अतारंकित प्रश्न 515 जो 28 अप्रैल, 1989 से स्थानांतरित हुआ।